न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - बाँसवाड़ा (राज.)

प्रकरण सं० - 46/2022 दायर तारीख → 22-6-22

उनवान

देवा पिता भाणेया व अन्य बनाम जलज सिंघवी

उपस्थित :-

1. श्री नन्दलाल पुरोहित - अधिवक्ता वादीगण
2. " तस्लीम अहमद - अधिवक्ता प्रतिवादी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व आदेश 1 नि. 2,3 - सीपीसी सपठित धारा-151 सीपीसी.

- निर्णय -

दिनांक - 16.1.23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/प्रार्थीगण ने दो पृथक-पृथक खातों का वाद/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन पोषणीय नहीं होने से काबिले खारिज है। वादीगण/प्रार्थीगण को दो पृथक-पृथक वाद/प्रार्थना पत्र लाने थे। प्रकरण में जलज सिंघवी को पक्षकार बनाया है जबकि कार्य में भारती कन्स्ट्रक्शन द्वारा नियमानुसार खातेदारों से सहमति पत्र/अनापत्ति प्राप्त कर विधिवत, कार्यालय खनिज अभियन्ता खान व भू विज्ञान विभाग बाँसवाड़ा (राज.) औद्योगिक क्षेत्र पीपलवा, बाँसवाड़ा से अनुमति प्राप्त कर अनुमति क्रमांक खि.अ./बांस/एस टी पी/01/2021 दिनांक 5/5/22 प्राप्त कर [illegible] के दौरान निकलने वाली साधारण मिट्टी खोदी जा रही है [illegible] व 1230/871 ग्राम पाड़ला, मेसरपुरा [illegible] हेल्टेप[illegible] में से [illegible] समतलीकरण के दौरान निकाली जा रही है। में भारती कंस्ट्रक्शन को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रकरण में वाद कारण भी उत्पन्न नहीं होने से वाद अन्तर्गत आदेश 07 R 11 में काबिले निरस्ती है।

उपखण्ड अधिकारी
बाँसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:36 IST
Reason: SelfAttested

अत: प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज फरमावें।

जवाब प्रार्थना-पत्र में वादीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र की चरण सं. 1 पूर्णत: अस्वीकार है। वादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 59 तथा 55 पुराना ख. नं. 1273/1244 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा (.7527 हैक्.) ग्राम केशर पुरा में स्थित होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त प्रश्नगत आराजी का वादीगण के मध्य विधिवत बँटवारा होकर वादी सं. 1 देवा का कृषि भूमि खाता सं. 59 तथा 55 पुराना ख. नं. 1273/1244 रकबा 02-07 बीघा तथा वादी सं. 2 नाथू का खाता सं. 254 तथा, 59 पुराना खं. 1424/1273/1244 रकबा 02-06 बीघा राजस्व अभिलेख में दर्ज हुयी तब से वादीगण अपने-अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से काबिज है। वाद का मूल खाता एक ही होने से प्रार्थना-पत्र काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थी ने मात्र प्रकरण को लम्बित करने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किया है। चरण सं. 3 पूर्णत: अस्वीकार है वादीगण ने अपने खातेदारी के मूल ख.नं. 1273/1244 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा बताई गयी भूमि व वादीगण की भूमि पृथक-पृथक है। प्रार्थी अपने प्रभाव-बल का दुरूपयोग कर वादीगण की भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहता है जबकि उसे कोई अधिकार नहीं है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर सव्यय खारिज फरमावें।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर बहस उभयपक्षान सुनी गयी। हमने प्रार्थना-पत्र व जवाब प्रार्थना-पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद में दो अलग-अलग खसरे अंकित है पृथक-पृथक वाद लाने थे। वाद में अतिक्रमण किस जगह किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। हम संबंधित विभाग से [illegible] लेकर ही खुदाई कर रहे है। भारती कम्युनिकेशन को पक्षकार नहीं बनाया अत: वाद काबिल [illegible] उपयुक्त नहीं होने से प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर वाद खारिज फरमावें। प्रत्युत्तर में अधिवक्ता अप्रार्थीगण (वादीगण) ने निवेदन किया कि आदेश 07 नियम 11 के प्रावधान का प्रार्थना-पत्र में कहीं भी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

उल्लेख नहीं है। ख.नं. 1273/1244 रकबा 4-13 बीघा हमारी संयुक्त खातेदारी भूमि है। मौजा हमारी जमीन में अतिक्रमण कर रहा है। हमारा वाद ~~योग्य~~ है missjoinder का कोई प्रश्न है ही नहीं। अतः प्रार्थना-पत्र सारहीन होने से खारिज फरमावें।

इस वादी ने ख.नं. 1424/1273/1244 रकबा 2-06 बीघा जमाबंदी सम्वत 2070-73 खातेदार नाथु पिता मानिया पटेल के नाम विभाजन से ना० सं. 616 दिनांक 24/6/16 से दर्ज रिकॉर्ड हुयी है तथा जमाबंदी संवत 2070-73 ख.नं. 1273/1244 रकबा 2-07 बीघा खातेदार देवा पिता मानिया पटेल के नाम जरिये विभाजन नामा.सं. 616 दिनांक 24.6-2016 दर्ज रिकॉर्ड हुयी है। उक्तानुसार दोनों खाते 2016 में ही पृथक-पृथक हो चुके है। जिनका नक्शा भी पृथक-पृथक होना चाहिये। वादीगण ने इस प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रतिवादी किस जगह अतिक्रमण कर रहा है।

प्रतिवादी ने अपनी STP जल-विभाग से ख.नं. 1222/871 व 1230/871 खातेदार लक्ष्मी, प्रकाशचन्द्र, धनजीलाल, गीता कुमारी ग्राम पाड़ला की 1 हेक्टेयर भूमि से साधारण मिट्टी उत्खनन हेतु भारती कंस्ट्रक्शन कम्पनी कुशलबाग बांसवाड़ा के पक्ष में जारी करवायी है।

निष्कर्षतः प्रश्नगत आराजी ख.नं.-1273/1244 व 1424/1273/1244 में से किस भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद वादी अधिकार का खारिज किया जाता है। धारा-209 के तहत वादी पृथक से सीमाज्ञान करवा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकते है।

पत्रावली फैसल शुमार हो [illegible] में जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय [illegible] सुनाया।

16/1/23

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:36 IST
Reason: SelfAttested

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी प्रतिवादी

देवा बनाम जयेश

किस्म मुकदमा—(वाद पत्र) .... प्रकरण संख्या— ..../ 20........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.6.22	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री देवा पिता भाथिया जाति भील निवासी पालडी कालूपुरा द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 विरूद्ध प्रतिवादीगण श्री जयेश पिता कलित ...जाति सिंधवी जैन निवासी आर्तीकलाहुन्दिया ... के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 12.7.22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
12/7/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित सम्मन बाद तामील प्राप्त। सम्मन के अवलोकन से जाहिर हुआ की ~~अप्रार्थी~~ प्रतिवादी वाद में अंकित व्यक्ति नहीं है। अतः अधिवक्ता वादी को हिदायत दी जाती है कि आगामी तारीख पेशी तक संशोधित जवाब पेश करें एवं उनकी तलबी हेतु सम्मन/तलबाना ... रजि. एडी. पेश करें। अन्यथा ... प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पत्रावली उक्तानुसार 16/8/2022 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:36 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.12.22	पत्रावली पेश। उपस्थित अधिवक्ता उप. वादी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। जिसमे शामिल मिसल किया। जवाब की प्रति प्रतिवादी अधि. को दिलाई गई। उपस्थित अधि. ओर से प्रा.पत्र. 07 R 11 आदेश। सिविल 2, 9 3 CPC की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते प्रा.पत्र. आदेश दिनांक 02.1.23 को पेश हो। वादी अधिवक्ता की ओर से कई दस्तावेज पेश किये जिसे शामिल मिसल किये। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 02.1.23 को पेश हो। (sd)	
2.1.2023	पत्रावली पेश हुई वादी प्रतिवादी वकील उपस्थित पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 16.1.2023 को पेश हो। (sd)	
16.1.23	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उप. आये। प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। प्रार्थना-पत्र 07 R 11 स्वीकार किये जाने बाद इसी स्तर पर आदेश किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। (sd)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:36 IST
Reason: SelfAttested